रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 1992/आषाढ़ 26, 1914

No. 313] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 1992/ASADHA 26, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1992

सा० का० नि० 679 (अ)'—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा० 113/ई० सी०/73, तारीख 15 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए यह आदेश देती है कि भारत में या भारत का निवासी प्रत्येक व्यक्ति, जो नेपाल या भूटान की करेंसी से भिन्न किसी करेंसी के रूप में अभिव्यक्त किसी विदेशी मुद्रा का या तो भारत में या भारत के बाहर स्वामी है या उसे रखता है या जो इसके पश्चात् उसका स्वामी हो सकेगा या उसे रख सकेगा, यथास्थिति, इस आदेश की तारीख से या उसके स्वामी होने या रखने की तारीख से तीन मास के अवसान के पूर्व उसको भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय प्राधिकृत दर या दरों पर रुपयों में संदाय करने के लिए किसी प्राधिकृत व्यवहारी को विक्रय के लिए प्रस्थापना करेगा या करवाएगा

परन्तु यह आदेश—

(1) ऐसी विदेशी मुद्रा को जो प्राधिकृत व्यवहारी द्वारा, अपने प्राधिकरण की परिधि के भीतर रखी गई है ;

(2) ऐसे व्यक्ति को जो व्यापार या अन्य प्रयोजन के लिए, उसके पक्ष मे प्राधिकरण की परिधि के भीतर ऐसी विदेशी मुद्रा रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(3) ऐसी विदेशी मुद्रा को, जो भारत मे इस निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसार धारित है या भारत के बाहर और उस पर आय को, यदि ऐसी विदेशी मुद्रा किसी व्यक्ति द्वारा—

(क) उक्त अधिनियम के उल्लंघन में से अन्यथा, जब वह भारत के बाहर निवासी था, अथवा

(ख) भारत के बाहर किए गए या प्रारम्भ किए गए, नियोजन, कारोबार या व्यवसाय के माध्यम से, जब ऐसा व्यक्ति भारत के बाहर निवासी था,

1812 GI/92

अर्जित की गई थी ।

परन्तु यह तब जब कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति कम से कम एक वर्ष की सतत् कालावधि के लिए भारत के बाहर निवासी रहा हो ;

(4) किसी खाते में विदेशी मुद्रा में रखी गई किसी राशि को जो पौंड स्टर्लिंग में अभिव्यक्त राशि नहीं है और 8 जुलाई, 1947 को या उससे पूर्व रखी गई है, यदि ऐसा खाता रिजर्व बैंक की साधारण या विशेष अनुज्ञा के अनुसरण में रखा जाता है तो ;

(5) उक्त अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अनुदत्त अनुज्ञा के अनुसरण में अर्जित विदेशी मुद्रा को, यदि उस विदेशी मुद्रा को इस प्रकार अर्जित या प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन शर्तों का पालन करता है जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा दी गई है तो ;

(6) भारत में, भारत के निवासी विदेशी नागरिकों द्वारा जो भारत के स्थायी निवासी नहीं हैं, ट्रैवलर्स चैक, करेंसी नोट, बैंक नोट और सिक्कों के रूप में भारत में विदेशी करेंसी रखने को;

(7) विदेशी सिक्कों के रूप में विदेशी मुद्रा को; और

(8) 500 अमेरिकन डालर के समतुल्य कुल मूल्य तक विदेशी मुद्रा या मुद्राओं को जो सिक्का प्रयोजनों के लिए धारित या अर्जित हों; लागू नहीं होता ।

[फा० सं० 10/22/90–एन आर आई-सैल]
एस० वरदाचारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1992

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. F-1|3|EC|73, dated the 15th June, 1977, the Central Government hereby orders that every person in, or resident in India, who owns or holds, or who may hereafter own or hold, any foreign exchange, whether in India or abroad, expressed in any currency other than the currency of Nepal or Bhutan, shall, before the expiration of three months from the date of this order, or as the case may be, the date of his so owning or holding, offer the same, or cause it to be offered, for sale to any authorised dealer against payment in rupees, at the rate or rates for the time being authorised by the Reserve Bank in pursuance of sub-section (2) of section 8 of the said Act, for conversion into Indian currency of the foreign currency in which such foreing exchange is expressed :

Provided that this order shall not apply to —

(1) Such foreign exchange held by authorised dealers within the scope of their authority;

(2) persons authorised by the Reserve Bank to hold such foreign exchange for business or other purposes within the scope of the authorisation in their favour;

(3) foreign exchange held in India in accordance with any schemes approved by the Reserve Bank in this behalf, or outside India, and income thereon, if such foreign exchange was acquired by a person —

(a) otherwise than in contravention of the said Act, while he was resident outside India; or

(b) through employment, business or vocation outside India, taken up or commenced while such person was resident outside India :

Provided that in either case such a person has been resident outside India for a continuous period of not less than one year;

(4) any sum held in any account in foreign currency, not being a sum expressed in pound sterling and held on or before the 8th July, 1947, if such account is maintained in pursuance of the general or special permission of the Reserve Bank;

(5) foreign exchange acquired or received in pursuance of permission granted by the Reserve Bank under section 8, or, as the case may be, under section 9 of the said Act, if the person so acquiring or receiving such foreign exchange complies with the conditions subject to which such permission has been granted;

(6) holding in India of foreign currency in the form of travellers cheques, currency notes, bank notes and coins by foreign citizens in, or resident in, India but not permanently resident therein;

(7) foreign exchange in the form of foreign coins; and

(8) foreign currency or currencies upto a total value equivalent to US Dollar 500 held or acquired for numismatic purposes.

[F. No. 10|22|90-NRI-Cell]
S. VARADACHARY, Jt. Secy.

Printed by the Managar, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992